

2026:AHC:53630

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9512/2026

शांता प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: प्रमोद कुमार यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
- उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया मूल प्रतिकार यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रथम), वाराणसी मंडल, वाराणसी को निर्देशित किया जाए कि वह अपील संख्या 2544 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202414000002544) (मुन्नालाल बनाम शान्ता प्रसाद एवं अन्य), जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत लंबित है, का निस्तारण निर्धारित समयावधि के भीतर करे।
- मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रथम), वाराणसी मंडल, वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अपील का निस्तारण **विधि के अनुसार यथाशीघ्र**, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो, करे।

13 मार्च, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।